#### म्कदमा (उच्च न्यायालय) अन्भाग 'क'

## लॉयर्स चैंबर्स, दिल्ली में स्थित

#### दिल्ली उच्च न्यायालय

## अनुभाग के कार्य

- 1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, पत्र पेटेंट अपील, संविधान के अनुच्छेद 134-क तहत सर्वोच्च न्यायालय में उत्पन्न अपीलों से निपटना।
- 2. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और पैनल परामर्शदाताओं के बीच संपर्क कार्य।
- 3. आम तौर पर परिसीमन और अपील के प्रकारों सहित प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विभिन्न विभागों आदि को सलाह देना।
- 4. एएसजी/विरष्ठ काउंसल/सीजीएससी और पैनल काउंसल की नियुक्ति।
- 5. अभिवचनों, स्वीकार किए जाने वाले तर्कों आदि के मामले में उच्च न्यायालय के पैनल पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कान्फ्रेंस की व्यवस्था करना।
- 6. उच्च न्यायालय से प्राप्त वाद सूची प्राप्त होने पर विभिन्न विभागों/परामर्शदाताओं के साथ निकट संपर्क।
- 7. महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अदालतों में उपस्थिति और ऐसे मामलों की प्रगति पर नजर रखना।
- 8. प्रमाणीकरण के लिए शाखा अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने से पहले नियुक्ति की अविध के संदर्भ में काउंसेल से प्राप्त बिलों की जांच।

### मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग 'ख'

## अन्भाग के कार्य

- संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं उससे उत्पन्न एलपीए और एससीए को छोड़कर सूट, अपील और अन्य सभी मुकदमेबाजी कार्यों से निपटना।
- 2. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और पैनल परामर्शदाताओं के बीच संपर्क कार्य।
- 3. आम तौर पर परिसीमन और अपील के प्रकारों सहित प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विभिन्न विभागों आदि को सलाह देना।
- 4. एएसजी/विरष्ठ काउंसल/सीजीएससी और पैनल काउंसल की नियुक्ति।
- अभिवचनों, स्वीकार किए जाने वाले तर्कों आदि के मामले में उच्च न्यायालय के पैनल पर विरिष्ठ अधिवक्ताओं की कान्फ्रेंस की व्यवस्था करना।
- 6. उच्च न्यायालय से प्राप्त वाद सूची प्राप्त होने पर विभिन्न विभागों/परामर्शदाताओं के साथ निकट संपर्क।
- 7. महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अदालतों में उपस्थिति और ऐसे मामलों की प्रगति पर नजर रखना।
- 8. प्रमाणीकरण के लिए शाखा अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने से पहले नियुक्ति की अविध के संदर्भ में काउंसेल से प्राप्त बिलों की जांच।

# मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग से संबंधित लेखा कार्य।

- 1. बजटीय अनुमान, व्यय का संशोधित अनुमान तैयार करना।
- 2. विधि कार्य विभाग के बजट और खातों और आईएफ अनुभाग के लिए विभिन्न व्यय विवरणी प्रस्तुत करना।
- 3. पैनल काउंसल के पैन डेटा रिकॉर्ड का रखरखाव।
- 4. पैनल काउंसल को मैंडेट फॉर्म जारी करना और प्राप्त करना और ईसीएस से संबंधित डेटा का संकलन।
- 5. ई-भुगतान/चेक जारी करने के लिए पीएओ (एलए) को बिलों को संसाधित करना और जमा करना।
- 6. पैनल काउंसेल के ई-पेमेंट रिकॉर्ड का ऑनलाइन सत्यापन-सह-समाधान।
- 7. पीएओ (एलए) से प्राप्त ई-भुगतान विवरण/चेक की प्राप्ति और रिकॉर्डिंग। उचित रसीद प्राप्त करने के बाद संबंधित पैनल काउंसल को चेक जारी करना।
- 8. पीएओ (एलए) द्वारा प्राप्त व्यय विवरण के साथ मासिक व्यय के आंकड़ों का मिलान।

- 9. निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव:
  - i. श्ल्क बिल रजिस्टर
  - ii. चेक रजिस्टर
  - iii. टीडीएस रजिस्टर
  - iv. भुगतान किए जा चुके शुल्क बिल
  - v. बजट पुनर्विनियोग रिकॉर्ड
  - vi लेखापरीक्षा रिकॉर्ड
- 10. तिमाही ई-टीडीएस रिटर्न दाखिल करना और यूनिट रिकॉर्ड के साथ तिमाही ई-टीडीएस रिटर्न डेटा का ऑनलाइन सत्यापन और मिलान करना।
- 11. आवश्यकता के अनुसार सुधार विवरण दाखिल करना।
- 12. पैनल काउंसल को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना
- 13. लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना और लेखा अभिलेखों और वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- 14. बाहरी और आंतरिक लेखापरीक्षा आपित्तियों का संकलन और उनका निपटान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित उत्तर और रिकॉर्ड प्रस्तृत करना।